धनौरा में सेंचुरी की 4900 बीघा जमीन पर बांट दिए 800 पट्टे

एक्सक्लूसिव जमीन की अनुमानित कीमत एक अरब

संजीव गर्ग

पट्टों में मनमानी प्रभावित धनौरा का क्षेत्र

मंडी धनौरा (अमरोहा)। अमरोहा में चरागाह, नदी समेत अन्य सरकारी जमीनें पट्टों की आड़ में खुर्दबुर्द करने के खुलासे के बीच मंडी धनौरा तहसील में भी बड़ा भूमि घोटाला सामने आया है। इस क्षेत्र में सेंचुरी के लिए आरक्षित 4900 बीघा जमीन पर मोटी रकम वसूल कर पट्टे दे दिए गए। करीब 800 पट्टों के जरिये हुए इस खेल की जानकारी के बाद अलग-अलग इलाकों के 17 पट्टे निरस्त किए गए हैं, जबकि अन्य मामले चकबंदी और राजस्व अदालतों में विचाराधीन हैं। संपत्ति के जानकार मौजूदा दरों से इस जमीन की कीमत एक अरब के आसपास मान रहे हैं।

धनौरा में पट्टों की आड़ में जमीनों की धंधेबाजी का कारनामा साल 1991 से शुरू हुआ। सूत्र बताते हैं कि लगभग 10 साल तक अलग-अलग समय पर अलग नामों से पट्टे जारी किए गए। जानकारों के मुताबिक 10 साल तक पट्टे पर काबिज रहने के बाद पट्टाधारक उस पर स्थायी कब्जे के लिए (संक्रमणीय अधिकार) राजस्व कोर्ट में आवेदन कर सकता है। इस तरह के आवेदन आने के बाद की गई फौरी जांच में सामने आया कि ये पट्टे गंगा के खादर से लेकर बन्य क्षेत्र तक की भूमि पर जारी किए गए थे। बन्य क्षेत्र की उस भूमि पर जिसे 1986 में सेंचुरी क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। नियमानुसार सेंचुरी के लिए आरक्षित जमीन पर किसी हाल में पट्टे नहीं दिए जा सकते।

इससे संकेत मिले कि तत्कालीन राजस्व स्टाफ से लेकर अफसरों तक ने मोटी वसूली करके सरकारी जमीन को पट्टों पर नाम पर निजी हाथों में सौंप दिया। सेंचुरी क्षेत्र की जिन जमीनों को पट्टे पर दिया गया है, उनमें बन्य क्षेत्र के चरागाह, झील, तालाब और खादर के इलाके हैं।

एसडीएम बोले-नियम विरुद्ध पट्टे निरस्त किए जाएंगे

मंडी धनौरा के एसडीएम शैलेश कुमार दुबे का कहना है कि कुछ पट्टे नियम विरुद्ध किए जाने की जानकारी के बाद से सख्ती जारी है। इस तरह के सभी पट्टे निरस्त किए जाएंगे। अलग-अलग स्तर पर सुनवाई चल रही है। इसी क्रम में निरस्तीकरण चल रहा है।

रायवानादल्लीपुर, गुलालपुर एहतमाली, रसूलपुर भांवर एहतमाली, गंडावली, आजमपुर, शेरपुर, मुकारमपुर, देवीपुरा, सीपीया फार्म, शाहजहांपुर छात, दारानगर, जैथल, घेरकुंडा।

मिर्जापुर : जिम में धर्मांतरण के गैंग लीडर और भाई की 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क

मिर्जापुर। जिम में महिलाओं से दोस्ती कर उनका अश्लील वीडियो बनाकर धर्मांतरण कराने के आरोपी गैंग लीडर इमरान और उसके भाई जहीर की 11 करोड़ 66 लाख 35 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली गई। इसमें मकान और वाहन शामिल हैं।

मई में आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने राजस्व टीम के साथ डुगडुगी बजाकर कुर्की की कार्रवाई की। धर्मांतरण मामले में 10 आरोपी जेल में बंद हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत इमरान खान निवासी 39 बटालियन रोड रैबना कोतवाली कटरा तथा उसके भाई जहीर खान की अपराध से अर्जित चल-अचल संपत्ति कुर्क की गई। 19 जनवरी को दो युवतियों ने जिम में धर्मांतरण कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। संवाद

देवबंद में सरकारी जमीन पर बनीं छह मस्जिद, मदरसे को हटाने का नोटिस

सहारनपुर। सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई मस्जिद और मदरसों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने देवबंद तहसील में छह मस्जिद व मजार को 15 दिन में हटाने का नोटिस दिया है। इसके बाद प्रशासन खुद जमीन को कब्जा मुक्त कराएगा। तहसील में 11 में से पांच मामले अभी विचाराधीन हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जा करके मस्जिद और मदरसे बनाए गए हैं। जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की बात सामने आई। इसके बाद सभी को नोटिस दिए गए हैं। देवबंद तहसील के गांव सोहनचिड्डा में वर्ष 2012 में करीब 0.0172 हेक्टेयर भूमि पर अवैध मस्जिद बना ली गई। जमीन का वर्तमान में मूल्य 11.52 लाख रुपये है। संवाद

अहमदाबाद बम धमाका : सजा के बाद दोषियों के परिजन बोले, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील

सरायमीर (आजमगढ़)। साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाके के मामले में अहमदाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को विशेष अदालत के फैसले बरकरार रखा है। विशेष अदालत ने 38 दोषियों को फांसी और 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बम धमाके की साजिश का मास्टरमाइंड आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के बीनापार निवासी अबुल बशर है।

सरायमीर क्षेत्र के संजरपुर निवासी मोहम्मद सैफ, आरिफ मिर्जा नसीम, इसरौली निवासी आरिफ बदर व शहर कोतवाली क्षेत्र के बदरका निवासी सैफुल रहमान भी कोर्ट में दोषी ठहराए जा चुके हैं। फैसला आने के बाद आजमगढ़ फिर चर्चा में आ गया। दोषियों के परिजनों का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

मोहम्मद सैफ के पिता शादाब बोले, न्याय की उम्मीद अभी बाकी

मंगलवार को फैसले के बाद संजरपुर और आसपास के गांवों में सन्नाटा पसरा रहा। दोषी मोहम्मद सैफ के पिता शादाब अहमद उर्फ मिस्टर ने कहा कि उनका परिवार इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेगा। अभी न्याय की उम्मीद बाकी है। इसरौली के दोषी आरिफ बदर के बेटे मोहम्मद माविया ने बताया कि साल 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद से परिवार की मुलाकात नहीं हो सकी है। अब सप्ताह में एक बार वीडियो कॉल और दो बार वॉइस कॉल पर बातचीत हो पाती है। संवाद

वन स्टॉप सेंटर में एग्जॉस्ट फैन के सहारे लटक कर किशोरी ने दी जान

आजमगढ़। सिधारी थाने से मात्र 300 मीटर दूर वन स्टॉप सेंटर में मंगलवार की भोर में एक किशोरी ने शौचालय में लगे एग्जॉस्ट फैन से दुपट्टे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना की जानकारी मिलते ही सेंटर में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जांच-पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में किशोरी के मानसिक तनाव में यह कदम उठाए जाने की आशंका जताई गई है। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के एक युवक और किशोरी के बीच प्रेम संबंध थे। कुछ दिन पहले दोनों घर से बिना बताए लुधियाना चले गए थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने किशोरी को पांच जुलाई को खोज लिया था। युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद थाने लाकर किशोरी की काउंसिलिंग कराई गई लेकिन परिजनों ने किशोरी को घर ले जाने से मना कर दिया था। संवाद

स्कूल में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने पर विधायक पर एफआईआर

कानपुर। परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने पर मंगलवार को आयोगपुर से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई पर ग्वालटोली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने ये कार्रवाई निर्लिप्त दिए जा चुके प्रधानाध्यापक की तहरीर पर की है। विद्यालय में एक जुलाई को विधायक अमिताभ बाजपेई ने बिना प्रशासनिक अनुमति के विद्यालय परिसर में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया था। संवाद

500 सौ रुपये के जाली नोटों की 100 गड्डियों के साथ एक पकड़ा

प्रयागराज। जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक से मंगलवार दोपहर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 500 रुपये के फर्जी नोटों की 100 गड्डियों के साथ राजस्थान के बीकानेर निवासी गनीमत्रास (20) को गिरफ्तार किया है। हर गड्डी के ऊपर और नीचे केवल असली नोट जैसा प्रिंट था, जबकि बीच में सादे कागज के टुकड़े रख भेज दिए गए थे। ब्यूरो

Super Speciality PG Institute (DM-Cardiology)

24x7 इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध

- एन्जियोग्राफी
- एन्जियोप्लास्टी
- पेसमेकर
- टी.एम.टी./होल्टर/स्लीप स्टडी
- वाल्व का बंद या लीक होना
- दिल का दौरा

24 Emergency

www.ramahospital.com

पिलखुवा, हापुड़ 7877775530 | मंधना, कानपुर 7310473105 | लखनपुर, कानपुर 7081570570 | बागपत 9520882967

राजस्थान राज्य भण्डारण व्यवस्था निगम

क्रमांक : RSWC/ADM/MANPOWER/2026-27/2494 दिनांक : 03/07/2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निगम में "Hiring of Warehouses Management Support Units" हेतु ई-निविदा आमंत्रण की जाती है। निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल **http://rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किये जाकर दिनांक 23.07.2026 को 06.00 PM तक अपलोड की जा सकती है। निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र **http://sppp.rajasthan.gov.in** तथा **www.agriculture.rajasthan.gov.in/rswc** पर भी देखे जा सकते है। अन्तिम तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदाऐ दिनांक 24.07.2026 को निगम प्रधान कार्यालय जयपुर में 05.00 PM बजे खोली जायेगी। उक्त निविदा के सम्बन्ध में कोई भी सूचना/संशोधन उक्त वेबसाइट पर प्रकाशित किए जायेंगे। अतः निगमित अंतराल पर इनको देखा जाना चाहिए।

UBN No. SWC2627SLOB00139

राज.संवाद/वी.(26)/6363 — उप निदेशक (प्रशासन)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय वासुकुला एवं नियोजन अनुभाग नीलामी कामपलैक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226016

पत्र सं0– 1193/नीलामी/26/ 2026 दिनांक–21/04/2026

—सार्वजनिक सूचना—

वृन्दावन योजना, लखनऊ में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–11/45 के आवंटी श्री शिव कुमार अम्बेडकर के द्वारा अपने भूखण्ड पर व्यवसायिक एवं आवासीय उपयोग अनुमन्य करने हेतु किये गये आवेदन दिनांक–30–01–2026 के क्रम में उपविधि के प्रस्तर–8.13 के नोट–4 के अनुसार अनुमोदित ले–आउट में निर्दिष्ट आवासीय भू–उपयोग में मिश्रित उपयोग अनुमन्य किये जाने हेतु जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। मुख्य वास्तुविद नियोजक कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, द्वितीय तल, नीलमिरि कॉमपलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ को ई–मेल–cap@upavp.com या कार्यालय में लिखित रूप में दो प्रतियों में आपत्ति/सुझाव प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत किये जा सकते है। नियत अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर ही विचार किया जायेगा।

आवास आयुक्त

जब दर्द है, तो नूरामेन्ट है ना !

Rahat HERBAL

नूरामेन्ट® तेल एवं क्रीम

असरदार जड़ी बूटियों से निर्मित

शारीरिक जोड़ो का दर्द, बदन दर्द, घुटनों व पीठ का दर्द एवं कमज़ोर मांसपेशियों में तेज़ व असरदार आयुर्वेदिक दवा

नूरामेन्ट की रोज़ाना मालिश से मिले दर्द से लम्बा आराम

राहत हर्बल रेमेडीज़ रूड़की, हरिद्वार

आर्डर एवं जानकारी के लिये सम्पर्क करें : कमलेश सिंह (सेल्स मैनेजर) 9935019690

बैंक ऑफ इण्डिया Bank of India BOI — आंचलिक कार्यालय: "स्टार हाऊस" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, फोन: 0522–2721512 — **ई-नीलामी सूचना**

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना नियम 8(6) के तहत

यह ई–नीलामी बिक्री सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अधीन बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए है। इस नोटिस के माध्यम से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (कर्ताओं) और जमानतकर्ता (कर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि बैंक मे बंधक अचल सम्पत्तियों जिनका विवरण नीचे दिया गया है तथा जिनका सांकेतिक/भौतिक कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा गया है को 'जैसा है', 'जो है', 'जैसा है' तथा 'जो कुछ भी है, के आधार पर बिक्रय की जायेगी।

ईएमडी / दस्तावेज जमा करने की अनिम तिथि दिनांक 10.08.2026 को सायं 05:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि एवं समय 11.08.2026, प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

क्र. सं.	खातेदार/जमानतकर्ता का नाम एवं पता/बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण एवं कब्जा की स्थिति	निर्धारित आरक्षित मूल्य/अग्रिम धनराशि (₹)
	शाखाः आस्ति वसूली शाखा, वरिष्ठ प्रबन्धक, अमित कुमार यादव, मोः 9415389015		
1.	**ऋणी–: मेसर्स खान फैब्रिकेटर्स, प्रो. मोहम्मद हसीर खान पुत्र श्री मुल्लन, पता**–मोहल्ला कुरैशी वार्ड, नगर पंचायत, हैदरगढ़, पोस्ट–हैदरगढ़, तहसील–हैदरगढ़, जिला–बाराबंकी उ.प्र. **प्रोपराइटर:मो. हसीर खान पुत्र श्री मुल्लन,** पता–मोहल्ला कुरैशी वार्ड, नगर पंचायत, हैदरगढ़, पोस्ट–हैदरगढ़, तहसील–हैदरगढ़, जिला–बाराबंकी उ.प्र. **जमानतकर्ता:–1. श्रीमती सन्नो पत्नी मो. हसीर खान, 2. मो. हासिम खान पुत्र मुन्ना खान, 3. मो. अमीन खान पुत्र श्री मुल्लन, 4. मोहम्मद इस्माइल खान पुत्र श्री मुल्लन, पता:** मोहल्ला कुरैशी वार्ड, नगर पंचायत, हैदरगढ़, पोस्ट–हैदरगढ़, तहसील–हैदरगढ़, जिला–बाराबंकी, उ.प्र. **मांग सूचना की तिथि: 15.04.2026, बकाया धनराशि: ₹52,34,004.07** +ब्याज एवं अन्य खर्चे	सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से निहित भूमि स्थित खसरा नं. 641/1, मोहल्ला बाह्मन वार्ड, नगर पंचायत, हैदरगढ़, तहसील–हैदरगढ़, जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश, **मालिक: मोहम्मद हसीर खान पुत्र श्री मुल्लन, क्षेत्रफल –3875 वर्ग फीट, चौहद्दी :–पूर्व**– हैदरगढ़–रायबरेली रोड, **पश्चिम**–मालिकों और अन्य लोगों का प्लॉट, **उत्तर**– मोहम्मद इस्माइल खान की संपत्ति, **दक्षिण**– राम मनोहर पाण्डेय का मकान (कब्जा–सांकेतिक)	₹ 55,00,000/– ₹ 5,50,000/–

नियम एवं शर्तः बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर के वेब पोर्टल पर दिए गए लिंक को देखें **i.e.https://www.bankofindia.bank.in, https://baanknet.com** अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित एजीएम/मुख्य प्रबंधक / शाखा प्रबंधक को ऊपर दी गई शाखाओं व उनके फोन नम्बर पर सम्पर्क करें। नोट–न्यूनतम स्वीकार्य बोली आरक्षित मूल्य (आरपी) से रू. 10,000/– उपर होगी।
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

दिनांकः **04.07.2026** स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया

केनरा बैंक Canara Bank — A Government of India Undertaking — भारत सरकार का उपक्रम — Syndicate — **ई-नीलामी बिक्री सूचना**

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, अंचल कार्यालय भवन, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन आस्तियों सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस ऋणी(ओं) व जमानतकर्ता(ओं) को विशेष रूप से व सर्वसाधारण को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित सुरक्षित सेवा प्रदत्त बैंक द्वारा बंधक/प्रभारित अचल सम्पत्ति का केनरा बैंक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है, बंधक सम्पत्ति की बिक्री "जो है जहाँ है, जो है जैसी है एवं जैसी भी स्थिति में है", "वादित रहित के आधार" पर निम्न विवरण के अनुसार की जायेगी।

क्र. सं.	ऋणीयों/जमानतदारो का नाम एवं पता	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य बयाना राशि 10%	कुल बकाया राशि
	नीलामी की तिथि और समय 11.08.2026 प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे के बीच ईएमडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10.08.2026 सायं 05:00 बजे तक			
1.	**उपारकर्ताः** मेसर्स विजय फर्टिलाइजर्स, प्रोप0 श्री विजय कुमार **के माध्यम से** मकान संख्या 43 गांव आदमपुर, बिरौली बुधवारा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी–225001 **प्रोपराइटरः** श्री विजय कुमार पुत्र श्री खरगी प्रसाद मकान संख्या 43 गांव आदमपुर, बिरौली बुधवारा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी–225001 **बंधककर्ता एवं जमानतकर्ताः** श्रीमती मधु देवी पत्नी श्री विजय कुमार मकान संख्या 43 गांव आदमपुर, बिरौली बुधवारा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी–225001	पुरानी आबादी पर स्थित भूमि एवं भवन, गांव जकारिया बुधवारा, परगना प्रतापगंज, तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी। **क्षेत्रफलः 44.59 वर्ग मीटर चौहद्दीः पूर्वः**–रास्ता का घर, **पश्चिमः**–प्रेम का घर, **उत्तरः**–उत्तम का घर, **दक्षिणः**–रोड	₹ 10,57,000/- ₹ 1,05,700/-	Rs. 88,91,629.10/- + ब्याज (01.05.2026 से प्रभावी) + अन्य व्यय

बिक्री की विस्तृत नियमों व शर्तों के लिये केनरा बैंक द्वारा प्रदान की गई लिंक 'E-AUCTION' वेबसाइट (www.canarabank.com) का संदर्भ लें। अथवा केनरा बैंक, एआरएम शाखा लखनऊ (फोन नं: 0522 2307898 / 8173004792 / 8218881233 / 9451914461 / 6387225284, 7972690456 / 9634016436 / 8218881233) ईमेल: cb5248@canarabank.com से किसी भी कार्यालय दिवस व कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं या सेवा प्रदाता मेसर्स एस बी अलायंस (BAANKNET) सम्पर्क नं. 7046612345 / 6354910172 / 8291220220 / 9892219848 / 8160205051, अधिक जानकारी के लिए https://baanknet.com/ पर जायें, ई–मेल आईडी: support.BAANKNET@psballiance.com./support.ebkray@procure247.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 04.07.2026 स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

बैंक ऑफ इण्डिया Bank of India BOI — आंचलिक कार्यालय: "स्टार हाऊस" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, फोन: 0522–2721512 — **ई-नीलामी सूचना**

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना नियम 9 (1) के तहत

यह ई–नीलामी बिक्री सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के अधीन बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए है। इस नोटिस के माध्यम से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (कर्ताओं) और जमानतकर्ता (कर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि बैंक मे बंधक अचल सम्पत्तियों जिनका विवरण नीचे दिया गया है तथा जिनका सांकेतिक/भौतिक कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा गया है को 'जैसा है', 'जो है', 'जैसा है' तथा 'जो कुछ भी है, के आधार पर बिक्रय की जायेगी।

ईएमडी / दस्तावेज जमा करने की अनिम तिथि दिनांक 27.07.2026 को सायं 05:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि एवं समय 28.07.2026, प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

क्र. सं.	खातेदार/जमानतकर्ता का नाम एवं पता/बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण एवं कब्जा की स्थिति	निर्धारित आरक्षित मूल्य/अग्रिम धनराशि (₹)
	शाखाः आस्ति वसूली शाखा, वरिष्ठ प्रबन्धक, अमित कुमार यादव, मोः 9415389015		
1.	**ऋणी: मेसर्स लाला फतेह चंद हरीश चंद्र एंड संस**,पता– 24, कुलमासकर कॉम्प्लेक्स जी की गली लखनऊ–226018 **प्रोपराइटर–श्रीमती मीना सिंघल पत्नी श्री हरीश चंद्र सिंघल**, पता:1–108/53 गगनी शुकूल का तालाब, मंडिल हाउस, अमीनाबाद, लखनऊ–226018, पता:2– दुकान/हॉल सं. 01, मकान नंबर 529/597 पर बनाई, जो प्रथम तल स्काई कैसल टॉवर, पिकनिक स्पॉट रोड, रहीम नगर, लखनऊ–226006 **जमानतकर्ता–श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री राज कुमार वर्मा**, पता–108/53, गगनी शुकूल का तालाब, मंडिल हाउस, अमीनाबाद, लखनऊ–261206 **मांग सूचना की तिथि: 25.05.2022, बकाया धनराशि: ₹ 62,12,906.92** + ब्याज एवं अन्य खर्चे	सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से निहित दुकान/हॉल सं. 01 मकान नं. 529/597 पर निर्मित, प्रथम तल, स्काई कैसल टॉवर, पिकनिक स्पॉट रोड, रहीम नगर, लखनऊ, जिला लखनऊ, **क्षेत्रफल 109.665 वर्ग मीटर, स्वामी: श्रीमती मीना सिंघल पत्नी: श्री हरीश चंद्र सिंघल, चौहद्दी: पूर्व**–लिफ्ट एवं सीढ़ी की जगह, **पश्चिम**–खुली पार्किंग एवं उसके बाद रोड, **उत्तर**–दुकान/हॉल सं. 2, प्रथम तल, **दक्षिण**– ओम प्रकाश मौर्य का प्लाट/मकान (कब्जा–भौतिक)	₹ 54,00,000/– ₹ 5,40,000/–
2.	**श्री कमल कांत सक्सेना, 2. श्रीमती ऋचा पाण्डेय, पताः 1**–डी–1/138, सेक्टर–ओ, मानसरोवर योजना, कानपुर रोड स्कीम, लखनऊ–226012, **पताः 2**–मकान संख्या 195/12 का, जगत नारायण रोड, गोलागंज, लखनऊ–226018 **मांग सूचना की तिथिः 21.03.2025, बकाया धनराशिः ₹1,68,89,411.04** +ब्याज एवं अन्य खर्चे	प्लॉट संख्या–1/138 पर मकान, टाइप–डी, सेक्टर–ओ, मानसरोवर योजना, कानपुर रोड, लखनऊ, 226012, **क्षेत्रफल 181.60 वर्ग मीटर, श्री कमल कांत सक्सेना और श्रीमती ऋचा पाण्डेय के नाम पर, चौहद्दी:–पूर्व** –9 मीटर चौड़ी सड़क, **पश्चिम** –मकान संख्या 1/137, **उत्तर** –मकान संख्या 1/139, **दक्षिण** –9 मीटर चौड़ी सडक (कब्जा–सांकेतिक)	₹ 2,15,00,000/– ₹ 21,50,000/–
3.	**1. मेसर्स शिव ग्रीन सोलर सिस्टम्स प्रा. लि.,** मकान संख्या 1/172 सी, प्रियदर्शिनी कॉलोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ–226024 **2. श्री संजय गोस्वामी पुत्र स्व. श्री रमेश कुमार भारती** (निदेशक/स्व. रमेश कुमार भारती के विधिक उत्तराधिकारी), मकान संख्या 1/172 सी, प्रियदर्शिनी कॉलोनी सीतापुर रोड, लखनऊ–226024 **3. श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्व. श्री रमेश कुमार भारती** (निदेशक/स्व. रमेश कुमार भारती के विधिक उत्तराधिकारी), मकान संख्या 1/172 सी, प्रियदर्शिनी कॉलोनी सीतापुर रोड, लखनऊ–226024 **मांग सूचना की तिथिः 08.05.2023, बकाया धनराशिः ₹1,57,01,075.73** +ब्याज एवं अन्य खर्चे	सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से निहित प्लॉट संख्या बी–3, खसरा संख्या 705, 706, 708 एवं 711 के मिनजूमता का भाग, ग्राम अल्दूनगर, डिगुरिया, आईआईएम रोड, एचपी पेट्रोल पंप के पास, परगना लखनऊ, **स्वामीः आवासीय संपत्ति स्व. श्री रमेश कुमार भारती की है (विधिक उत्तराधिकारी–श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्व. श्री रमेश कुमार भारती एवं श्री संजय गोस्वामी पुत्र स्व. श्री रमेश कुमार भारती के माध्यम से), क्षेत्रफलः 2033.00 वर्ग फीट चौहद्दी:–पूर्व**– प्लॉट संख्या बी–4, **पश्चिमः** 9 से 12 मीटर चौड़ी सड़क, **उत्तरः** 25 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिणः** अन्य की भूमि (कब्जा–सांकेतिक)	₹ 64,00,000/– ₹ 6,40,000/–
4.	**श्री संजय मिश्रा (ऋणी एवं बंधककर्ता) पुत्र श्री नील कंठेश्वर, पता–1**: मकान संख्या 1/290, विराट खंड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010, **पता–2**: मकान संख्या बी–5/66, विनीत खंड–5, गोमतीनगर, लखनऊ–226010, **पता–3**: फ्लैट संख्या एफ1/304, स्वाति अपार्टमेंट, सी.जी.सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ–226002 **मेसर्स मॉ इंटरप्राइजेज (प्रोप. श्री संजय मिश्रा),** मकान संख्या बी–5/66, विनीत खंड–5, गोमतीनगर, लखनऊ–226010. **सह–ऋणी/जमानतकर्ता:– श्रीमती विनीता मिश्रा (सह–ऋणी), पता–1**: मकान संख्या 1/290, विराट खंड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010, **पता–2**: मकान संख्या बी–5/66, विनीत खंड–5, गोमतीनगर, लखनऊ–226010, **पता–3**: फ्लैट संख्या एफ1/304, स्वाति अपार्टमेंट, सी.जी.सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ–226002 **मांग सूचना की तिथि: 04.10.2024, बकाया धनराशिः ₹55,43,678.73** +ब्याज एवं अन्य खर्चे	फ्लैट संख्या एफ–1/304, ब्लॉक एफ–1, स्वाति अपार्टमेंट, सी.जी. सिटी, सुशांत गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, **क्षेत्रफल 65.54 वर्ग मीटर, मालिक– श्री संजय मिश्रा एवं श्रीमती विनीता मिश्रा क्षेत्रफल– 54.82 वर्ग मीटर, सुपर निर्मित क्षेत्रफल– 65.54 वर्ग मीटर चौहद्दी:–सभीपवर्ती**–सीढ़ी व एसडब्ल्यू/एफ–1/301/प्रकार–4, एसडब्ल्यू/एफ–1/305/प्रकार–1, **ऊपर की ओर**–छत, **नीचे की ओर**– एसडब्ल्यू/एफ–1/204/प्रकार–4 (कब्जा–सांकेतिक)	₹ 28,00,000/– ₹ 2,80,000/–
5.	**मेसर्स यू.एस. एजेन्सीज (फर्म/ऋणी),** पता– 1/451, वास्तु खंड, गोमती नगर (निकट कठौता झील), लखनऊ–226010 **श्री राजीव कुमार सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, (ऋणी/बंधककर्ता),** पता– 1/451, वास्तु खंड, गोमती नगर (निकट कठौता झील), लखनऊ–226010 **श्रीमती पूनम सिंह पत्नी श्री राजीव कुमार सिंह, (जमानतकर्ता),** पता– 1/451 वास्तु खंड, गोमती नगर (निकट कठौता झील), लखनऊ–226010 **श्री राकेश कुमार सिंह पुत्र श्री गजाधर सिंह, (जमानतकर्ता एवं बंधककर्ता),** पता– टी गार्डन, नामकुम बाजार, शिशु विहार विद्यालय, रांची–834010 **मांग सूचना की तिथिः 25.11.2025, बकाया धनराशिः ₹44,62,589.42** +ब्याज एवं अन्य खर्चे	1) सम्पत्ति स्थित प्लॉट संख्या 08 का भाग, खसरा संख्या 408 स्थ का हिस्सा, खुशालगंज, परगना–काकोरी, लखनऊ **मालिक–श्री राजीव कुमार सिंह, क्षेत्रफल– 111.52 वर्ग मीटर चौहद्दी–(विक्रय विलेख के अनुसार)–पूर्व**– आराजी दीगर, **पश्चिम**– 20 फीट चौड़ी सड़क, **उत्तर**– आराजी दीगर, **दक्षिण**– आनंद कुमार दुबे का प्लॉट 2) सम्पत्ति स्थित प्लॉट संख्या 12, 14 और 15 का भाग, खसरा संख्या 707 स का हिस्सा, ग्राम हरदोइया लालनगर, लखनऊ, **मालिक–श्री राजीव कुमार सिंह एवं श्री राकेश कुमार सिंह, क्षेत्रफल– 111.52 वर्ग मीटर चौहद्दी–(विक्रय विलेख के अनुसार)**–पूर्व– प्लॉट संख्या 14 का भाग, **पश्चिम**– 20 फीट चौड़ी सड़क, **उत्तर**– प्लॉट संख्या 12 का भाग, **दक्षिण**– कुसुम लता सिंह का प्लॉट (कब्जा–सांकेतिक)	₹ 11,32,000/– ₹ 1,13,200/– ₹ 13,18,000/– ₹ 1,31,800/–
6.	**1. मेसर्स निविशा ट्रेडिंग कंपनी (ऋणी), प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्रोप्राइटर सुश्री निकिता अग्रवाल पत्नी श्री धीरज अग्रवाल,** खसरा संख्या 326 बी, मुतवल्लीपुर आईआईएम रोड, लखनऊ–226021 (उ.प्र.) **2. श्रीमती निकिता अग्रवाल (प्रोप.) पत्नी श्री धीरज अग्रवाल,** मकान संख्या 47, सेक्टर–आई, जानकीपुरम योजना, जानकीपुरम, लखनऊ–226021 और 109/5 जी, मंडिल हाउस, डाकघर के पास, लखनऊ–226001 (उ.प्र.), **3. श्री धीरज अग्रवाल पुत्र स्व. सुरेंद्र कुमार अग्रवाल** फ्लैट संख्या ए 1/6 पीआर छठी मंजिल, पैराडाइज पाम, आईआईएम रोड